graphic Address, "University"
phone No. 201

All communications should be addressed to "The Registrar, University of Gorakhpur" and not to any officer by name.

No. ..... of 19

From

The Assistant Registrar, (Administration)

UNIVERSITY OF GORAKHPUR.

GORAKHPUR.

To

The Principal,
D.A.V. Degree College,
AZAMGARH.

Dated, Gorakhpur, Jan. ..... 1963.

Sir,

In continuation of this office endorsement no.6961-62, B-8(1) dated September 10,1962, I am directed to state that the Chancellor has been pleased under Sec.5(2) of the Gorakhpur University Act to grant permanent affiliation to the D.A.V.College Azamgarh for the B.A. and B.Com. standards of the University with effect from the current academic session.

Yours faithfully,

(R. D. Misra)
Asstt.Registrar(Admn.)

...

No. / of date

Copy forwarded for information to:-

1. The Secretary to Government Education(C) Department, Uttar Pradesh Lucknow.
2. The Secretary, University Grants Committee, Allahabad.
3. The Director of Education, Uttar Pradesh, Allahabad.

Asstt.Registrar(Admn.)

Principal
D. A. V. Principal
D. A. V. Pg. College
Azamgarh

1/2

(4)

Copy of letter No.1889/G.S.dated March 2,1968, from the Secretary to the Chancellor,Gorakhpur Univers addressed to the Registrar,Gorakhpur University.

...

With reference to your letter No.9270/Affl/1968, dated February 13,1968, I am directed to say that in view of the position stated therein, the Chancellor has been pleased, under Section 5(2) of the Gorakhpur University Act, to grant permanent affiliation to D.A.V.Degree College, Azamgarh,for the B.Sc.in Physics,Chemistry and Mathematics on the fulfilment of the conditions of affiliation laid down by the University.

...

University of Gorakhpur.

No.10097 /Affl.(I)1967-68, dated March 4 ,1968.

Copy forwarded to the Principal,D.A.V.Degree College,Azamgarh,for information and necessary action with reference to this office letter No.9286/Affl/67 dated February 14,1968.

(R.P.Ambast)
Asstt.Registrar(Affl.)

Principal
D. A. V. Pg. College
Azamgarh

1/3

प्रतिलिपि पत्रांक 14649/जी0एस0, दिनांक मार्च 13, 1975, प्रेषक, कुलाधिपति के सचिव, (गोरखपुर विश्वविद्यालय), राज्यपाल भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। प्राप्तक, कुलसचिव, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।

.....

आपके पत्र संख्या 5514/सम्बद्धता/74-75 दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, की धारा 37(2) के अन्तर्गत, डी0ए0वी0कालेज, आजमगढ़ को बी0एस-सी0के लिए वनस्पति एवं जीव विज्ञान विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के आपके प्रस्ताव को सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं ।

.....

गोरखपुर विश्वविद्यालय

पत्र संख्या [illegible] /सम्बद्धता/यूजी/1975-76 दिनांक सितम्बर 23, 1975

प्रतिलिपि प्राचार्य, डी0ए0वी0 डिग्री कालेज, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

Submitted to Hon' 27/9
Secretary for information
It may kindly be made up in the [illegible]

Principal
D. A. V. Pg. College
Azamgarh

No. 14161/G.S.

Dated U.P. Governor's Camp, September 25, 1976.

FROM

SRI V.P. JAUHARY,
COMMISSIONER & SECRETARY TO THE GOVERNOR,
UTTAR PRADESH.

TO

The Registrar,
Gorakhpur University,
GORAKHPUR.

Sir,

I am directed to say that the Chancellor has, under Section 37(2) of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, been pleased to accord sanction to the proposals to extend the period of provisional affiliation granted to the undermentioned Colleges for the courses noted against each, upto June 30, 1977 :-

S. No.	University's L.No.& Date.	Name of the College	Course	Subjects
1.	15035-36 22.6.76	Byalsi Degree College, Jalalpur, Jaunpur.	B.A.	Hindi, Geography, Economics, Pol.Sc. Sanskrit, English, Sociology and Ancient History.
2.	14766-67 15.6.76.	Satish Chandra College, Ballia.	M.A.	Hindi, Political Science & Sociology.
			M.Sc.	Chemistry and Mathematics.
3.	14772-73 15.6.76.	St.Andrews College, Gorakhpur.	M.A.	Hindi & Pol.Sc.
			M.Sc.	Mathematics.
4.	14807-8 June'76.	Baldeo Degree College, Baragaon, Varanasi.	B.Sc.	Botany & Zoology.
5.	148029-30 17.6.76	Agarsen Mahila Mahavidyalaya, Azamgarh.	B.A.	Pol.Sc., Music (Vocal & Instrumental) & History.

.....2/-

Principal
D. A. V. Pg. College
Azamgarh

S. No.	University's L.No.& Date.	Name of the College.	Course	Subjects
6.	14768-69 15.6.76.	Shri Murli Manohar Town College, Ballia.	M.A.	Hindi, Ancient History & Sanskrit.
			M.Sc. (Ag)	Agr. Botany
7.	14809-10 June'76.	Sakaldiha Degree College, Sakaldiha Varanasi.	B.A.	Sociology, Military Science, Psychology & Ancient History.
8.	15019-20 22.6.76.	Dayanand Degree College, Gorakhpur.	B.Sc.	Botany & Zoology.
			B.A.	Geography.
9.	14752-53/Affl/ UG/15.6.76.	Kisan College, Basti.	M.A.	Hindi, Geography & Mathematics.
			M.Sc.	Zoology.
10.	15031-32 22.6.76.	Swami Sahjanand Saraswati Degree College, Ghazipur.	B.A.	Political Science, Education & Psychology.
11.	148023-24 16.6.76.	Shiva Degree College, Tarhi, Captaingonj, Azamgarh.	B.A.	Military Science & Ancient History.
12.	14754-55 15.6.76	S.D.J.College, Chandeswar, Azamgarh.	M.Sc. (Ag)	Agr. Botany.
13.	148049.50 17.6.76	B.R.D. College, Deoria.	B.A.	Education
14.	14758-59 15.6.76	Dayanand Mahavidyalaya, Azamgarh.	M.A.	Hindi, Pol.Sc. Geography, History, Sociology.
			M.Sc.	Mathematics.
15.	148041-42 17.6.76	Shoopati Degree College, Shohratgarh, Basti.	B.Ed.	
16.	148047-48 June'76.	Satish Chandra College, Ballia.	B.A.	Education & Ancient History.
17.	15011-12 22.6.76.	Ratanson Degree College, Bansi (Basti)	B.A.	Urdu and Psychology.
			B.Ed.	

.....3/-

Principal
D. A. V. Pg. College
Azamgarh

No. /Affln./P.G./1973-74 dated April , 19

From,

The Registrar,
University of Gorakhpur,
GORAKHPUR

To,

1. Dr. S. P. Nagendra,
Head of Sociology Deptt.,

2. Dr. H. B. Srivastava,
Head of History Deptt.,
Gorakhpur University.

Subject :- Post-Graduate Affiliation to D. A. V. College, Azam

Sir,

The Management of the above College has applied for grant of Post-Graduate affiliation in Sociology and History as an additional subject from July 1973.

In previous year, the College was granted affiliation in the following subjects (upto Post-Graduate standard).

SUBJECT	Year 1970	1971	1972
Hindi	1970	-	-
Pol. Science	-	1971	-
Geography	-	-	1972

The College has informed that all the prescribed conditions of affiliation have been fulfilled in the existing Post-graduate subjects as well as upto degree standard and as such new affiliation, as mentioned above, may be considered. The cases were placed before the Vice-Chancellor and he has been pleased to appoint you as a Panel of Inspector in your subject. The other member will be the Regional Deputy Director of Education, who may either visit the College alongwith you or may go alone, but his inspection report should be routed through the Convenor (in case he visits the College alone).

You are requested kindly to make it convenient to inspect the College and submit your report thereafter specially on the position of accommodation, endowment, Library books, financial position of the College,

Principal
D. A. V. Pg. College
Azamgarh

execution of Agreement deeds between the Management and Teachers etc. A copy of the rules is enclosed herewith.

T.A./D.A.will be paid by the University.

Yours faithfully,

Encl. As above.

(R. P. Ambast)
Asstt.Registrar(Affln.)
For Registrar

Endt.No. 2965-68/Affln./PC/1973-74 dated April 25, 1973

Copy forwarded for information and favour of necessary action to The Deputy Director of Education, Gorakhpur with the request kindly to help the University in assessing if the College has got adequate resources and competence to add some more subjects in Post-Graduate classes. A copy of the rules on the subject is enclosed for your perusal and information.
Encl. One

Copy forwarded to the Principal, D.A.V.College, Azamgarh for information and favour of necessary action with the request kindly to make it convenient to fix some date for the inspection of the College with the Panel of Inspectors and keep all papers ready for the purpose.

Copy also forwarded for information and necessary action to;-

1.
2.
3.

(R. P. Ambast)
Asstt.Registrar(Affln.)

फोन : 5201

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

संख्या 21/ए5/सम्बद्धता/02 दिनांक 31-8-1982

प्रेषक :

कुलसचिव
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर (उ०प्र०)

सेवा में,

प्राचार्य,
दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय
आजमगढ़।

दिनांक----------

विषय :

विषय : एम०एस०सी० (गणित) प्रथमवर्ष कक्षा में प्रवेश संबंधी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 31-8-82 का अवलोकन करें।

कुलपति जी ने उक्त कक्षा में 60 छात्रों के प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर प्रदान करने की कृपा की है कि इसके निमित्त महाविद्यालय अतिरिक्त शिक्षक की माँग न करें।

निवेदन है कि कुलपति जी के उपर्युक्त आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

श्री एम० एल० शुक्ल
आर० के० दुबे
9/2

के०पी०

Seen
1/9/82

Principal
D. A. V. P.g. College
Azamgarh

Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 01–(एम) / 2015 / 2057
दिनांक : 10.09.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
डी०ए०वी० पी०जी० कालेज,
आजमगढ़।

विषय :महाविद्यालय को स्नातकोत्तर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103 (1) / सत्तर–6–2014–2(97) / 2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के कम में दिनांक–25 अगस्त, 2015 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, आजमगढ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत एवं अंग्रेजी विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक–01.07.2015 से आगामी **दो वर्षों** हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति / अनुमोदन तथा कक्षा संचालन की अनुमति से सम्बन्धित कमी को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय / संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। तत्पश्चात ही विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 10.10 के अन्तर्गत कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी, संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जॉच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जॉच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जॉच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16 (33) / 2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के कम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

700
15.9.15

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(22)

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 2019 / 7271
दिनांक: 30.09.19

सेवा में,

प्रबन्धक,
डी.ए.वी. महाविद्यालय,
आजमगढ़ ।

विषय : महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय / वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1103 (1) / सत्तर-6-2014-2(97) / 2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन)अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के आलोक में डी.ए.वी. महाविद्यालय, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृहविज्ञान (फाइन्ड डेवलपमेन्ट) एवं वाणिज्य संकाय में एमकाम विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2019 से आगामी नौ वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन / संविदा का प्रमाण पत्र, प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2061 / सत्तर-2-2013-16(92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या-5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय / संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ-पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 10.10 के अन्तर्गत समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा, कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या-61869 / 2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 / सत्तर-2-2013-2(050) / 2012, दिनांक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय को अनुमन्य की जा रही सम्बद्धता शासनादेश के अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के सापेक्ष होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी, तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16(33) / 2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं के अनुमोदन / नियुक्ति आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राप्त धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण, अग्निशमन प्रमाण, 2 एफ प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. प्रतिवर्ष Aishe के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य होगा।
11. विश्वविद्यालय में परीक्षाशुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

भवदीय
30/09/19
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. परीक्षा नियंत्रक / टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. अधीक्षक, शैक्षणिक, कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।

कुलसचिव

4.12.25

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय,आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांकः 2697/सम्ब0/2025 दिनांकः 13/11/2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज,
आजमगढ़।

विषयः महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103 (1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014 दिनांक 01 अगस्त, 2014–जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयो/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान** विषयों में सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2025 से स्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2051/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या 5267/702–2005–2(166)/2002 टी.सी. दिनांक 16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या–5125/702–2005–2 (166) 2002, दिनांक 21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के विधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेंगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या 12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015, दिनांक–12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव